न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर नावां (नागौर)

मुकदमा नम्बरः– 122/2022

वादीगणः–

1. पप्पुराम पुत्र गोपालराम जाति यादव निवासी बेद की ढाणी तहसील दांतारामगढ़ जिला सीकर।
2. मदनलाल पुत्र सुवाराम जाति जाट
3. जिनकुदेवी पत्नि मूलचन्द जाति जाट
4. सुरेश पुत्र मूलचन्द जाति जाट
5. मोहन पुत्र मूलचन्द जाति जाट
6. मुकेश पुत्र बोदूराम जाति जाट
7. बिदामीदेवी पत्नि बोदूराम जाति जाट
8. सुनिता पुत्री बोदूराम जाति जाट
9. छोटुराम पुत्र केसाराम जाति कुमावत
10. मांगीलाल पुत्र केसाराम जाति कुमावत
11. लालचन्द पुत्र केसाराम जाति कुमावत

वादी संख्या 2 ता 11 समस्त निवासी ग्राम घाटवा तहसील कुचामन सिटी।

बनाम

प्रतिवादीगणः–

1. प्रभुदयाल पुत्र पूरणमल जाति कुमावत निवासी नीमेडा तहसील दांतारामगढ़ जिला सीकर।
2. रामचन्द्र पुत्र रामेश्वरलाल जाति कुमावत निवासी रामसिंहपुरा तहसील दांतारामगढ़ जिला सीकर।
3. रामेश्वर पुत्र नारायण जाति कुमावत निवासी अजबपुरा तहसील दांतारामगढ़ जिला सीकर।
4. नन्द किशोर पुत्र रामधन जाति जाट
5. संदीप पुत्र रामधन जाति महाजन
6. सुनील कुमार पुत्र रामधन जाति महाजन
7. कंवरी देवी पुत्री सुवाराम जाति जाट
8. भंवरीदेवी पुत्री सुवाराम जाति जाट

प्रतिवादी संख्या 4 ता 8 समस्त निवासीगण ग्राम घाटवा तहसील कुचामन सिटी।

Signature Not Verified
Digitally signed by Anshul Singh
Date: 2023.02.22 13:04:42 IST
Reason: SelfAttested

9. मैनेजर आईसीआईसीआई बैंक लिमिटेड शाखा घाटवा।
10. मैनेजर पंजाब नेशनल बैंक लिमिटेड शाखा [illegible]।
11. उपपंजीयक कुचामन सिटी।
12. पटवारी पटवार मण्डल घाटवा पटवार हल्का घाटवा।
13. राजस्थान सरकार जरिये प्रतिनिधि तहसीलदार कुचामन सिटी(भूमिधारी)।

उपखण्ड अधिकारी
नावां (नागौर)

दावा वास्ते हस्तकरार हक, भू–विभाजन व स्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 88,53,188 आर.टी.एक्ट

पीठासीन अधिकारी : श्री अंशुल सिंह, आर.ए.एस.

उपस्थित :– श्री राजेश गुर्जर अधिवक्ता वादीगण
श्री राजेश कुमावत अधिवक्ता प्रतिवादी संख्या 1, 2, 3, 7, 8

निर्णय

दिनांक : 23.01.2023

वादी द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार से है कि राजस्व ग्राम घाटवा तहसील कुचामन सिटी की सरहद मे स्थित कृर्षि भूमि खसरा नम्बर 679 रकबा 8.86 हैक्टर भूमि स्थित चली आ रही है। खसरा नम्बर 679 रकबा 8.86 हैक्टर वादीगण व सहखातेदारों की सहखातेदारी में दर्ज चली आ रही हैं। उपरोक्त भूमि में वादी संख्या 1 635/3544 हिस्सा व प्रतिवादी संख्या 1 635/3544 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 2 635/3544 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 3 635/3544 हिस्सा के काबिज खातेदार चले आ रहे हैं। वादी संख्या 2 81/2215 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 7 81/2215 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 8 81/2215 हिस्सा, वादी संख्या 3 27/2215 हिस्सा, वादी संख्या 4 27/2215 हिस्सा, वादी संख्या 5 27/2215 हिस्सा, वादी संख्या 6 27/2215 हिस्सा, वादी संख्या 7 27/2215 हिस्सा, वादी संख्या 8 27/2215 हिस्सा, वादी संख्या 9 2667/88600 हिस्सा, वादी संख्या 10 1333/44300 हिस्सा, वादी संख्या 11 2667/88600 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 4, 5, 6 प्रत्येक का 3/886 हिस्से के काबिज सहखातेदार दर्ज चले आ रहे हैं। उपरोक्त भूमि में वादीगण व प्रतिवादीगण ने आपसी सहमति से अपने सुविधानुसार मौके पर भू–विभाजन कर अलग–अलग अपने बंट की भूमि पर काबिज होकर उपयोग उपभोग करते आ रहे हैं। उपरोक्त भूमि में मौके पर काबिजानुसार भू–विभाजन किया जाना आवश्यक हैं जिसका वादीगण अपने राजस्व रिकॉर्ड में अंकन व मौके पर काबिज अनुसार व अपने हक हिस्से की भूमि का भू–विभाजन कराना चाहता हैं जिससे बंटवारों को लेकर भविष्य में किसी प्रकार का विवाद उत्पन्न नहीं हो। वादीगण अपने हक हिस्से की भूमि का बाद नाप चौक कर मौके पर काबिज अनुसार व रिकॉर्ड अनुसार बाई मिट्स एण्ड बाउण्ड्स भू–विभाजन [illegible] कायम करवाना चाहते हैं जिसका वादीगण अधिकारी हैं। राजस्व ग्राम घाटवा तहसील कुचामन सिटी की सरहद मे स्थित कृर्षि भूमि खसरा नम्बर 679 रकबा 8.86 हैक्टर भूमि में वादी संख्या 1 635/3544 हिस्सा व प्रतिवादी संख्या 1 635/3544 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 2 635/3544 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 3 635/3544 हिस्सा के काबिज खातेदार चले आ रहे हैं एवं वादी संख्या 2 81/2215 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 7 81/2215 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 8

Signature Not Verified
Digitally signed by Anshul Singh
Date: 2023.02.22 13:04:42 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नावां (नागौर)

81/2215 हिस्सा, वादी संख्या 3 27/2215 हिस्सा, वादी संख्या 4 27/2215 हिस्सा, वादी संख्या 5 27/2215 हिस्सा, वादी संख्या 6 27/2215 हिस्सा, वादी संख्या 7 27/2215 हिस्सा, वादी संख्या 8 27/2215 हिस्सा, वादी संख्या 9 2667/88600 हिस्सा, वादी संख्या 10 1333/44300 हिस्सा, वादी संख्या 11 2667/88600 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 4, 5, 6 प्रत्येक का 3/886 हिस्से के काबिज सहखातेदार चले आ रहे हैं। इस आशय की खातेदारी अधिकारों की घोषणा की डिक्री फरमाने एवं राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज व मौके पर काबिज अनुसार भू–विभाजन किया जाकर सेपरेट हॉल्डिंग कायम किया जाकर नक्शे में तरमीम किया जाने की डिक्री फरमाकर आदेश तहसीलदार कुचामन सिटी को प्रदान करने की इस्तदुआ की।

वादीगण का वाद दर्ज किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 4, 5, 6, 9 ता 13 के सम्मन जरिये रजिस्टर्ड डाक भिजवाये जाने के बावजूद भी अनुस्थित रहने पर एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जाती हैं। प्रतिवादी संख्या 1, 2, 3, 7, 8 की ओर से अधिवक्ता श्री राजेश कुमावत ने इकबाली जवाब पेश कर निवेदन किया कि राजस्व ग्राम घाटवा तहसील कुचामन सिटी की सरहद में स्थित कृर्षि भूमि खसरा नम्बर 679 रकबा 8.86 हैक्टर भूमि में वादी संख्या 1 635/3544 हिस्सा व प्रतिवादी संख्या 1 635/3544 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 2 635/3544 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 3 635/3544 हिस्सा के काबिज खातेदार चले आ रहे हैं एवं वादी संख्या 2 81/2215 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 7 81/2215 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 8 81/2215 हिस्सा, वादी संख्या 3 27/2215 हिस्सा, वादी संख्या 4 27/2215 हिस्सा, वादी संख्या 5 27/2215 हिस्सा, वादी संख्या 6 27/2215 हिस्सा, वादी संख्या 7 27/2215 हिस्सा, वादी संख्या 8 27/2215 हिस्सा, वादी संख्या 9 2667/88600 हिस्सा, वादी संख्या 10 1333/44300 हिस्सा, वादी संख्या 11 2667/88600 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 4, 5, 6 प्रत्येक का 3/886 हिस्से के काबिज सहखातेदार चले आ रहे हैं। इस आशय की खातेदारी अधिकारों की घोषणा की डिक्री फरमाने एवं राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज व मौके पर काबिज अनुसार भू–विभाजन किया जाकर सेपरेट हॉल्डिंग कायम किया जाकर नक्शे में तरमीम किया जावें तो इसमें प्रतिवादी संख्या 1 को किसी प्रकार का ऐतराज नहीं हैं। साक्ष्य वादी में पी.डब्ल्यू.1 वादी मांगीलाल व पी.डब्ल्यू.2 गवाह मदनलाल पुत्र सुवाराम जाति जाट निवासी घाटवा व पी.डब्ल्यू.3 गवाह भंवरलाल भींचर पुत्र चतराराम जाति जाट निवासी नालोट व पी.डब्ल्यू.4 गवाह रामनारायण पुत्र गंगादास जाति स्वामी निवासी नालोट के मुख्य परीक्षण के शपथ पत्र अन्तर्गत आदेश 18 नियम 4 सीपीसी पेश किये। वादीगण द्वारा ओर साक्ष्य पेश नहीं करना चाहने पर साक्ष्य वादी बंद की गई। उभयपक्षकारान की बहस सुनी गई। तहसीलदार कुचामन सिटी से बंटवारा प्रस्ताव मंगवाने हेतु सहमत होने पर तहसीलदार कुचामन सिटी के द्वारा प्रस्ताव मंगवाया गया। तहसीलदार कुचामन सिटी ने बंटवारा प्रस्ताव पेश किया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Anshul Singh
Date: 2023.02.22 13:04:42 IST
Reason: SelfAttested

उभयपक्षकारान की अंतिम बहस सुनी गई। पत्रावली एवं पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। बहस पर मनन किया गया। बंटवारा प्रस्ताव का अवलोकन किया गया।

उपखण्ड अधिकारी
नावां (नागौर)

उपरोक्त विवेचनानुसार राजस्व ग्राम घाटवा तहसील कुचामन सिटी की सरहद में स्थित कृषि भूमि खसरा नम्बर 679 रकबा 8.86 हैक्टर भूमि में मुताबिक बंटवारा प्रस्ताव में अंकित वादीगण व प्रतिवादी संख्या 1, 2, 3, 7, 8 की भूमि का भू–विभाजन किया जाना उचित प्रतीत होता हैं।

आदेश

अतः वादी का वाद पत्र स्वीकार किया जाकर इस प्रकार डिक्री किया जाता हैं कि राजस्व ग्राम घाटवा तहसील कुचामन सिटी की सरहद में स्थित कृषि भूमि खसरा नम्बर 679 रकबा 8.86 हैक्टर भूमि में मुताबिक बंटवारा प्रस्ताव में अंकित भूमि का वादीगण व प्रतिवादी संख्या 1, 2, 3, 7, 8 को खातेदार काश्तकार घोषित कर भू–विभाजन किया जाता हैं तथा बंटवारा प्रस्ताव में अंकित रास्ते को शामलाती रखते हुए गै.मु. रास्ता घोषित किया जाता है। तद्नुसार राजस्व रिकॉर्ड व नक्शा ट्रेस में अंकन करने हेतु तहसीलदार कुचामन सिटी को आदेश दिये जाते हैं। बंटवारा प्रस्ताव निर्णय का अभिन्न अंग रहेगा। नियमानुसार स्टाम्प ड्यूटी पेश करने पर डिक्री पर्चा जारी हो।

यह निर्णय आज दिनांक 23.01.2023 को लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(अंशुल सिंह)
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर,
नावां (नागौर)
उपखण्ड अधिकारी
नावां (नागौर)

Signature Not Verified

Digitally signed by Anshul Singh
Date: 2023.02.22 13:04:42 IST
Reason: SelfAttested

अदालत:— **उपखण्ड अधिकारी नावां, जिला नागौर, राज.**

अज अदालत :— श्री अंशुल सिंह, आर.ए.एस.

वादीगण:—

1. पप्पुराम पुत्र गोपालराम जाति यादव निवासी बेद की ढाणी तहसील दांतारामगढ़ जिला सीकर।
2. मदनलाल पुत्र सुवाराम ज़ाति जाट
3. जिनकुदेवी पत्नि मूलचन्द जाति जाट
4. सुरेश पुत्र मूलचन्द जाति जाट
5. मोहन पुत्र मूलचन्द जाति जाट
6. मुकेश पुत्र बोदूराम जाति जाट
7. बिदामीदेवी पत्नि बोदूराम जाति जाट
8. सुनिता पुत्री बोदूराम जाति जाट
9. छोटुराम पुत्र केसाराम जाति कुमावत
10. मांगीलाल पुत्र केसाराम जाति कुमावत
11. लालचन्द पुत्र केसाराम जाति कुमावत

वादी संख्या 2 ता 11 समस्त निवासी ग्राम घाटवा तहसील कुचामन सिटी।

बनाम

प्रतिवादीगण:—

1. प्रभुदयाल पुत्र पूरणमल जाति कुमावत निवासी नीमेडा तहसील दांतारामगढ़ जिला सीकर।
2. रामचन्द्र पुत्र रामेश्वरलाल जाति कुमावत निवासी रामसिंहपुरा तहसील दांतारामगढ़ जिला सीकर।
3. रामेश्वर पुत्र नारायण जाति कुमावत निवासी अजबपुरा तहसील दांतारामगढ़ जिला सीकर।
4. नन्द किशोर पुत्र रामधन जाति जाट
5. संदीप पुत्र रामधन जाति महाजन
6. सुनील कुमार पुत्र रामधन जाति महाजन
7. कंवरी देवी पुत्री सुवाराम जाति जाट
8. भंवरीदेवी पुत्री सुवाराम जाति जाट

प्रतिवादी संख्या 4 ता 8 समस्त निवासीयान ग्राम घाटवा तहसील कुचामन सिटी।

9. मैनेजर आईसीआईसीआई बैंक लिमिटेड शाखा घाटवा।
10. मैनेजर पंजाब नेशनल बैंक लिमिटेड शाखा दांतारामगढ़।
11. उपपंजीयक कुचामन सिटी।
12. पटवारी पटवार मण्डल घाटवा पटवार हल्का घाटवा।
13. राजस्थान सरकार जरिये प्रतिनिधि तहसीलदार कुचामन सिटी(भूमिधारी)।

Signature Not Verified
Digitally signed by Anshul Singh
Date: 2023.02.22 13:04:42 IST
Reason: SelfAttested

मुकदमां नम्बर :— 122/2022 **निर्णय दिनांक :—** 23.01.2023

इनफिसाल कतई रूबरू..... ब[illegible] अधिवक्ता वादीगण एवं श्री राजेश कुमावत अधिवक्ता प्रतिवादी संख्या 1, 2, 3, 7, 8 को डिक्री दी जाती हैं कि :—

वादी का वाद पत्र स्वीकार किया जाकर इस प्रकार डिक्री किया जाता हैं कि राजस्व ग्राम घाटवा तहसील कुचामन सिटी की सरहद में स्थित कृषि भूमि खसरा नम्बर 679 रकबा 8.

उपखण्ड अधिकारी
नावां (नागौर)

86 हैक्टर भूमि में मुताबिक बंटवारा प्रस्ताव में अंकित भूमि का वादीगण व प्रतिवादी संख्या 1, 2, 3, 7, 8 को खातेदार काश्तकार घोषित कर भू–विभाजन किया जाता हैं तथा बंटवारा प्रस्ताव में अंकित रास्ते को शामलाती रखते हुए गै.मु. रास्ता घोषित किया जाता है। तद्नुसार राजस्व रिकॉर्ड व नक्शा ट्रेस में अंकन करने हेतु तहसीलदार कुचामन सिटी को आदेश दिये जाते हैं। बंटवारा प्रस्ताव निर्णय का अभिन्न अंग रहेगा।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 24.01.2023 को जारी की गई। तहरीर जारी हो।

मुहर

दस्तखत:

ओहदा : उपखण्ड अधिकारी
नावां (नागौर)

मुदई	रूपये	पैसे	मुदायलह	रूपये	पैसे
स्टम्प अर्जीदावा स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प वजह सबूत महन्ताना वकील खर्चा गाहान फीस कमिश्नर बाबत इजराय हुक्मनामा मुतफरीक	NIL	NIL	स्टम्प अर्जीदावा स्टाम्प वकालतनामा महन्ताना वकील खर्चा गाहान फीस कमिश्नर बाबत इजराय हुक्मनामा मुतफरीक	NIL	NIL
मीलान	NIL	NIL	मीजान	NIL	NIL

Signature Not Verified

Digitally signed by Anshul Singh
Date: 2023.02.22 13:04:42 IST
Reason: SelfAttested